


हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय ईनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
-------	----------------------------------	--

13/17

पत्रावली बाद जांच दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुई। वादी कमल सिंह पिता पुनम सिंह जाति राजपूत निवासी मेरठ ने अन्तर्गत धारा 136(2)(a) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रतिवादी पुनम सिंह पिता गोपाल निवासी मेरठ के विरुद्ध वन्द/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रतिवादी के नाम सम्मन जारी होकर प्रत्रावली दिनांक 11/5/17 को पेश हो।


उपखण्ड अधिकारी
गढी, जिला बांसवाड़ा

न्याय आपके द्वार अभियान-2017

पत्रावली पेश हुई। वकील पञ्जकारन हाजिर है, पत्रावली राजस्थ लोक अदालत केम्प मेरठ दि. 13/6/17 को वास्ते राजीनामा/


उपखण्ड अधिकारी
गढी, जिला बांसवाड़ा

13/6/17 पत्रावली राजस्थ लोक अदालत केम्प लोहारिया में पेश हुई। वादी द्वारा केम्प में शुद्धिकरण हेतु प्रार्थनापत्र पेश किया गया। जिस पर धूमिल निरीक्षक एवं तहसीलदार रिपोर्ट पेश की गई। किंतु जमाबंदी में इन्डजाज बूटे में सुधार हेतु प्रस्तुत साक्ष्य पर्याप्त नहीं है। अतः वाद वादी खारिज किया जाता है। जिस जमाबंदी में इन्डजाज सही किए गए थे वह प्रस्तुत नहीं की गई है।